भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2006

फा. सं. 1–19/2006–बी एण्ड सीएस.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के परंतुक तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा फाइल सं 13–1/2004–रिस्टज से जारी अधिसूचना सं. 39 (का.आ. सं.44 (अ) और 45 (अ) दिनांक 9.1.2004) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997(1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii), (iii) और (iv) और उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एततद्वारा दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेभा, 2004 (2004 का 6)(जिसे यहां इसके बाद "प्रधान आदेभा" कहा गया है) में निम्नलिखित संभोधन करता है, अर्थातः

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभः

(i). यह आदेभा "दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (सातवां संभाधन) आदेभा, 2006 (2006 का 8)" कहा जाएगा।

(ii). यह आदे ा पूरे भारत क्षेत्र में लागू होगा।

(iii). यह आदे ा राजपत्र में इसके प्रका ान की तारीख से प्रवृत होगा।

2. प्रधान आदे ा में, खण्ड 2 का वर्तमान उपखण्ड (च) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां हटा दी जाएंगी और उसके स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड (च) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

"(च) 'प्रभार' का आ ाय निम्नानुसार होगा तथा इसमें भाामिल होगाः

(i) नीचे (ii) में विनिर्दिश्ट सामान्य केबल सब्सक्राइबरों तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के अलावा सभी सामान्य केबल सब्सक्राइबरों तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद लिखित/मौखिक करार के अनुरूप एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को देय दरें (करों को छोड़कर) । 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद लिखित/मौखिक करार में लागू सिद्वांत "दर" भाब्द की परिभाषा निर्धारित करने में लागू किया जाना चाहिए।

(ii) तीन सितारा या उसके ऊपर के होटलों, हैरिटेज होटलों (जैसा कि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के दिभाा–निर्देभाों में वर्णित किया गया है) और कोई अन्य होटल, मोटल, सराय तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापना, जिसमें रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या इससे ज्यादा कमरे हों, के लिए ऊपर (i) में विर्निदिश्ट प्रभार लागू नहीं होंगें और इन सब्सक्राइबरों के लिए प्रभार पार्टियों द्वारा आपस में अवधारित किए जाएंगें।

स्पश्टीकरणः यह स्पश्ट किया जाता है कि किसी ब्राडकास्टर के कार्यक्रम, जिसे मनोरंजन कर विधि के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्थान पर सामान्य अवलोकन के लिए किसी विभोष समारोह के अवसर पर दर्भााया गया हो तथा जिसके लिए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा न्यूनतम 50 व्यक्तियों के लिए भुगतान आधार पर प्रवेभा की अनुमति दी गई हो, के संबंध में टैरिफ वह होगा, जो पार्टियों के बीच आपस में अवधारित किया जाए।"

3. प्रधान आदे ा में, खण्ड 3 का वर्तमान उपखण्ड (क) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड (क) तथा इससे संबंधित प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगीः

"(क) सामान्य केबल सब्सक्राइबर और वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर (तीन सितारा या इससे ऊपर के होटल, हैरिटेज होटल (जैसा कि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के दिभाा–निर्देभाों में वर्णित किया गया है) और अन्य होटल, मोटल, सराय और ऐसी वाणिज्यिक संस्थापनाएं, जिनमें रहना तथा खाने पीने की व्यवस्था हो तथा जिनके पास 50 या इससे ज्यादा कमरें हों, को छोड़कर) द्वारा केबल ऑपरेटरों मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, अथवा ब्राडकास्टरों को, जैसा भी मामला हो।"

4. प्रधान आदेभा में, वर्तमान खण्ड 3 (ग) और उससे संबंधित प्राविश्टियों के बाद, निम्नलिखित स्पश्टीकरण और उससे संबंधित प्रविश्टियों को स्पश्टीकरण–1 और स्पश्टीकरण–2 के रूप में जोड़ा जाएगाः

"<u>स्पश्टीकरण–1</u>: ऊपर खण्ड 3 (क) के प्रयोजन के लिए प्रश्न, कि क्या वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, केबल ऑपरेटर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/ब्राडकास्टर को भुगतान करेंगे, का निर्धारण संबंधित पार्टियों के बीच हुए करार (करारों) की भार्तों द्वारा किया जाएगा अर्थातः

(i). ब्राडकास्टर

(ii). एम एस ओ और केबल ऑपरेटर जिन्हें वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को सिगनल उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

एक ओर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राईबर दूसरी ओर।

<u>स्पश्टीकरण–2</u>: ऊपर खण्ड 3 (ख) और (ग) के प्रयोजन के लिए, जहां उचित हो, वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के भुगतान को हिसाब में लेने के लिए प्रभार संभाोधित किए जाएंगें।"

5. प्रधान आदेभा में , खण्ड 3 (ग) के नीचे विद्यमान दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगाः

"परंतु यह और कि किसी वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के मामले में, उसके संबंध में खण्ड 3 (क) के साथ पठित खण्ड 2(च)(ii) द्वारा प्रभारों का अवधारण उन पक्षों के बीच आपस में करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा, जिन्हें ब्राडकास्टरों से ब्राडकास्टिंग सेवाएं सीधे प्राप्त करने की सुविधाएं प्राप्त हैं, पश्चातवर्ती वाणिज्यिक केबल सब्क्राइबर के विकल्प पर चैनलों को अ–ला–कार्टे आधार पर उपलब्ध कराने के लिए उपकृत होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए, जब कभी भी चैनल समूह प्रदान किए जाएं, ये निम्निलिखित परिस्थितियों के अध्यधीन होंगेः–

I किसी एक चैनल की अधिकतम फुटकर कीमत, उस चैनल समूह, जिनका वह हिस्सा हो, के औसत चैनल कीमत के तीन गुने से ज्यादा नहीं होगी,

<u>स्पश्टीकरण</u>ः यदि किसी चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत x रू प्रतिमाह हो, और चैनलों की संख्या y हो, तो चैनल समूह की औसत कीमत x रू को y से विभाजित कर निकाली जाएगी।

II अलग–अलग चैनलों की अधिकतम फुटकर कीमत का जोड़ चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत के 150 % से ज्यादा नहीं होगा।"

6. प्रधान आदेभा में, वर्तमान खण्ड 3–क और उससे संबंधित प्रविश्टियां हटा दी जाएंगीं।

7. व्याख्यात्मक ज्ञापनः

इस आदेभा के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है।

आदेभाानुसार,

आर एन चौबे, सलाहकार (बी एण्ड सीएस–2)

[विज्ञापन III/IV/142/2006– असा]

अनुबंध –क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावना और पृश्ठभूमि

1.1 प्राधिकरण ने 15 जनवरी 2004 को टैरिफ आदेभा जारी किए थे, जिनमें यह उपबंध था कि केबल के प्रभार एफ टी ए और पे–चैनलों, दोनों की के लिए 26 दिसम्बर 2003 को विद्यमान स्तरों पर होंगे। यह अंतरिम आदेभा अंतिम निर्धारण के अध्यधीन था। तत्पश्चात व्यापक परामर्भों के बाद 1.10.2004 को एक विस्तृत टैरिफ आदेभा जारी किया गया (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान टैरिफ आदेभा कहा गया है) जिसने 26.12.2003 को विद्यमान केबल प्रभारों की सीमा की मर्यादा को बनाए रखा तथा नए पे–चैनलों की भाुरूआत तथा कतिपय भार्तों के अध्यधीन विद्यमान एफटीए चैनलों को पे–चैनलों में परिवर्तित करने के लिए मार्ग प्रभास्त किया। इन दोनों आदेभाों में प्रधान उद्देश्य उन केबल सब्सक्राइबरों को राहत प्रदान करना था जिनके पास केबल टेलीविजन प्रभारों में वृद्धि के विरूद्ध स्वयं को बचाने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

1.2 होटलों और रेस्तराओं की कतिपय एसोसिएभानों ने एक होटल के साथ मिलकर कुछ प्रसारकों और उनके प्रधिकृत वितरकों के विरूद्ध दूरसंचार विवाद निपटान अधिकरण (टी डीएस एटी) में याचिकाएं दायर कीं। विवाद मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित था कि क्या केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए होटलों तथा रेस्तराओं को घरेलू उपभोक्ताओं के समान माना जा सकता है। इसके अलावा, अन्य संबंधित एवं आनुषंगिक मुद्दे भी निर्णयाधीन थे। माननीय टीडीएसएटी ने अपने 17 जनवरी 2006 के आदेभा द्वारा याचिका का निपटान कर दिया। एक नियंत्रण आदेभा के रूप में हस्तक्षेप के लिए होटलों की एसोसिएभान से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

1.3 एक अंतरिम आदेभा के रूप में 7 मार्च 2006 को प्रधान टैरिफ आदेभा पर एक संभाोधन जारी किया गया। इस टैरिफ् संभाोधन आदेभा में साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया और इसने 1 मार्च 2006 को विद्यमान स्तर पर केबल प्रभारों पर एक सीमा का भी उपबंध किया जिसका भुगतान वाणिज्यिक केबल अंभादाता के संबंध में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया जाना था। इसके पश्चात 24 मार्च, 2006 को एक अन्य संभाोधन के माध्यम से एक अन्य संभाोधन जोड़ा गया जिसके द्वारा यह स्पश्ट किया गया था कि वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं द्वारा जिस एजेंसी को भुगतान किया जाना है, वह पारस्परिक करार के अनुसार तय होगी। एक प्रसारक अर्थात मैसर्स सेट डिस्कवरी प्रा. लि. द्वारा 7 मार्च, 2006 के

टैरिफ संभाोधन आदेभा के विरूद्ध अपील दायर की गई जिसमें अंतरिम टैरिफ आदेभा जारी करने के लिए ट्राई की भाक्तियों पर प्रश्न किया गया था। यह अपील माननीय टीडीएसएटी द्वारा इसके 20.4.2006 के आदेभा द्वारा खारिज कर दी गई।

2. परामर्भा प्रक्रिया

2.1 प्रसारकों और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक टैरिफ से संबंधित मामलों पर परामर्भा की प्रक्रिया 7 मार्च 2006 के टैरिफ संभाोधन आदेभा के जारी होने के तत्काल बाद भाुरू हो गई जिसमें 16 मार्च 2006 को प्रसारकों और होटल एसोसिएभानों के साथ संयुक्त बैठक तथा इसके पश्चात 23 मार्च 2006 और 5 अप्रैल 2006 को बैठकें आयोजित की गई। 21 अप्रैल 2006 को एक परामर्भा पत्र भी पारित किया गया जिसमें परामर्भा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई थी ताकि 12 मई 2006 तक पणधारियों की टिप्पणियां मांगी गई थीं –

(i) वाणिज्यिक केबल अंभादाता अभिव्यक्ति की परिभाषा तथा उससे संबंधित मुद्दे
(ii) वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने अथवा अन्यथा की आवश्यकता
(iii) वाणिज्यिक टैरिफ निधारित करने की पद्धति और रीति

परामर्भा पत्र में उठाए गए प्रश्नों में से एक मूल प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से केबल सब्सक्राइबरों के श्रेणीकरण से संबंधित था कि क्या 7 मार्च 2006 के टैरिफ संभाोधन आदेभा में निहित परिभाषा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। पत्र में ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं है, के श्रेणीकरण की समस्याओं और परेभाानियों का वर्णन करते हुए इसमें परिभाषा के संबंध में दृश्टिकोण अपनाने पर इनपुटों की मांग की गई थी। परामर्भा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि श्रेणीकरण तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए एक पृथक परिभाषा बनाने का प्रश्न टैरिफ विनियम के लिए दृश्टिकोण के प्रश्न से निकट रूप से जुड़ा हुआ है अर्थात क्या टैरिफ विनियम रखना अथवा केबल सब्सक्राइबरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ विनियम के विभिन्न सेट रखना आवश्यक है। श्रेणीकरण का प्रश्न टैरिफ विनियमों के विभिन्न सेट बनाने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में निर्णय पर निर्भर करता है और इसके बाद आता है। 7 मार्च, 2006 का टैरिफ संभाोधन आदेभा, जिसे उक्त आदेभा के साथ संलग्न व्याख्यात्मक

ज्ञापन में दर्भाया गया है, एक अंतरिम उपाय था तथा विस्तृत जांच के अध्यधीन थी जिस प्रयोजनार्थ परामर्भा पत्र जारी किया गया था।

2.2 विस्तृत परामर्भा पत्र ट्राई की वेबसाईट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। इसके बाद 25 मई, 2006 को दिल्ली में खुले मंच पर विचार–विमर्भा हुआ। परामर्भा पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों का सार ट्राई की वेवसाइट www.trai.gov.in पर दिया गया है। होटलों तथा रेस्तरांओं के अलावा वैयक्तिक संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें स्पश्टीकरण मांगे गए थे, हालांकि वे परामर्भा पत्र के प्रत्युत्तर में नहीं थे। विभिन्न पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियो के संबंध में प्राधिकरण के दृश्टिकोण तथा निर्णयों पर इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में उपयुक्त स्थान पर चर्चा की गई है।

2.3 इस दौरान कतिपय होटल एसोसिएभानों तथा एक होटल द्वारा माननीय टीडीएसएटी के 17 जनवरी , 2006 के आदेभा के विरूद्ध भीर्ष न्यायालय में एक सिविल अपील (2006 की 2061 और 2006 की 2247) दायर की गई। अपील में अंतरिम राहत के रूप में 7 मार्च 2006 के टैरिफ संभोधन आदेभा के प्रचालन के विरूद्ध स्थगन की प्रार्थना भी की गई थी। तथापि, ट्राई को इस अपील में पक्ष नहीं बनाया गया था। भीर्षस्थ न्यायालय ने अपने 28 अप्रैल 2006 के अंतरिम आदेभा में निदेभा दिया कि इसके अंतरिम आदेभा की तारीख की स्थिति के अनुसार यथापूर्व स्थिति बनाई जाए। यथापूर्व स्थिति के आदेभों को सम्मान देते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रसारकों तथा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक टैरिफ जारी करने के संबंध में माननीय भीर्षस्थ न्यायालय के अंतिम आदेभों के परिणाम की प्रतीक्षा की जाए जिसके लिए एक परामर्भा पत्र जारी किया गया और एक ओएचडी आयोजित की गई।

2.4 इस दौरान, सभार्त संपर्क प्रणाली (कैस) के एक माह के भीतर क्रियान्वयन के लिए माननीय एकल न्यायाधीभा के 10 मार्च 2006 के निर्णय के विरूद्ध भारत संघ द्वारा दायर की गई एक अपील (2006 का एलपीए 985) पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आदेभा दिया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में 31 दिसम्बर 2006 से कैस लागू किया जाए तथा सभी सह–प्रतिवादियों (इस अपील àÉå]ÅÉ<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ lÉÉ) को निदेभा दिया गया कि वे अपीलकर्ता के साथ सहयोग करें। दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता के तीन महानगरों में 31 दिसम्बर 2006 तक कैस को लागू करने के

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 20 जुलाई 2006 के निदेभा के अनुपालन में ट्राई ने एकल न्यायाधीभा खण्डपीठ के 10.3.06 के आदेभा के पश्चात तत्काल प्रारंभ की गई परामर्भा की प्रक्रिया को पे–चैनलों, फ्री टू एयर चैनलों के लिए बुनियादी सेवा टीयर प्रभारों सेटटॉप बॉक्सों की आपूर्ति के लिए स्कीमों, अंतर्संबंधीय करारों और सेवा की गुणवत्ता संबंधी मामलों तथा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए सेवा की गुणवत्ता के बारे में विनियम/टैरिफ जारी करने के लिए आगे प्रारंभ कर दिया। 31 दिसम्बर 2006 तक क्रियान्वयन की समग्र कार्यनीति में क्रियाकलाप वार समय सीमा के संदर्भ में इन पहलों को 31 अगस्त 2006 तक पूरा किया जाना था। चूंकि कैस क्षेत्रों के संबंध में टैरिफ आदि पर निर्णय से वाणिज्यिक सब्सक्राइबर भी प्रभावित होंगे, अतः यथापूर्व स्थिति के संदर्भ में कैस क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक टैरिफ के बारे में एक स्पशटीकरण की आवश्यकता थी। कैस अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने के कार्यवाही करने के लिए प्रबंध करने हेतु सुनवाई के दौरान एक अनुरोध किया गया। तदनुसार, भीर्ष न्यायालय ने अपील में तर्क पेभा करने के लिए आवेदन की अनुमति दे दी। निदेभाों के लिए तथ्यों एवं परिस्थितियों को भीर्षस्थ न्यायालय के समक्ष रखा गया।

2.5 भीर्षस्थ न्यायालय ने 19 अक्तूबर 2006 को इसके समक्ष अपील में दलीलों की समाप्ति पर अधिनिर्णय को बदल दिया और निदेभा दिया कि –

"यह प्रतीत होता है कि 28.4.2006 के आदेभा द्वारा इस न्यायालय की एक खण्डपीठ ने यथापूर्व स्थिति, जैसा कि यह स्थिति आज की तारीख तक बनी हुई है, बनाए रखने का आदेभा दिया है। अधिवक्ता परिषद में यह सूचित किया गया है कि उक्त आदेभा के अनुसरण में तथा इससे अनुपालन में ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 के निबंधनों के अनुसार टैरिफ तैयार करने की प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर रही है।

ट्राई की ओर से पेभा हुए प्रतिशिठत अधिवक्ता श्री संजय कपूर ने हमारे सम्मुख परामर्भा पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं तथा टैरिफ तैयार करने की प्रक्रियाओं के आज की तारीख से एक माह के भीतर पूरी हो जाने की आभाा है।

हमने 28.4.2006 के हमारे उक्त आदेभा के संभाोधन में ट्राई को टैरिफ तैयार करने की प्रक्रियाएं आरंभ करने का निदेभा दिया है। ऐसा करते समय, इसे अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत इसके अधिकार–क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए तथा टीडीएसएटी द्वारा इस

संबंध में की गई किसी टिप्पणी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए अथवा इसके आधार पर ही कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसा उल्लेख करना समीचीन होगा कि उक्त टैरिफ को तैयार करने के लिए समस्त पद्धतियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि परामर्भा–पत्र में भी टीडीएसएटी द्वारा की गई सिफारिभाों के बारे में कुछ उल्लेख किए गए हैं। इससे पूर्व इसमें जारी हमारे निदेभाों को ध्यान में रखते हुए एक नया परामर्भा पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः हम यह स्पश्ट करना चाहते है कि वास्तविक टैरिफ तैयार करते समय अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों का अनुपालन किया जाए तथा उसके संबंध में निर्धारित सभी पद्धतियों का पालन किया जाए।

2.6 21 अप्रैल 2006 को जारी परामर्भा पत्र कैस क्षेत्रों अथवा गैर–कैस क्षेत्रों के विभोष संदर्भ में नहीं था। कैस क्षेत्रों से सबंधित मामलों पर परामर्भा पत्र 14.6.2006 का जारी किया गया था, तथापि, चूंकि उच्चतम न्यायालय के आदेभा लागू थे, इसने वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं की समस्या को विनिर्दिश्ट रूप से संदर्भित नहीं किया। भीर्ष न्यायालय के उक्त निदेभाों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के अनुपालन की अपेक्षा की गई थी, 2 नवम्बर 2006 को ट्राई की वेबसाइट पर वाणिज्यिक टैरिफ के संबंध में कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ संभाोधन आदेभा का मसौदा प्रदर्भित किया गया था, जिसमें 10 नवम्बर 2006 तक् पणधारियों की टिप्पणियां मांगी गई थी। पणधारियों (प्रसारक और होटलों) की दो पृथक बैठकें 9 नवम्बर 2006 को आयोजित की गई थी, जो भीर्ष न्यायालय के समक्ष पक्ष भी थे तथा उन्हें उनका दृश्टिकोण रखने के लिए अवसर प्रदान किया गया था। मसौदा टैरिफ आदेभा पर प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाईट www.trai.gov.in पर दर्भााया गया है। मसौदा टैरिफ आदेभा के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों का सार इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिभिाश्ट 1 में संलग्न है। मसौदा टैरिफ आदेभा पर प्राप्त टिप्पणियों पर ट्राई के दृश्टिकोण तथा प्रतिक्रिया पर इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के उपयुक्त स्थानों पर चर्चा की गई है।

3. मुद्दावार विश्लेषण

3.1 वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की परिभाषा तथा उससे संबंधित मुद्दे

3.1.1 1.10.2004 का प्रधान टैरिफ आदेभा साधारण केबल सब्सक्राइबरों तथा वाणिज्यिकक केबल सब्सक्राइबरों के बीच किसी विभेद का उपबंध नहीं करता है। इसी प्रकार 15.1.2004 का प्रथम अंतरिम टैरिफ आदेभा भी ऐसा कुछ नहीं करता। वस्तुतः दोनो ही टैरिफ आदेभाों में केबल सब्सक्राइबरों भाब्द की परिभाषा निहित नहीं थी। तथापि, व्याख्यात्मक ज्ञापन, विभोष रूप से 15.1.2004 के प्रथम टैरिफ आदेभा के पैरा 4 और 1.10.2004 के प्रधान आदेभा के पैरा 3 का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि किसी गैर–पता क्षेत्र की तथा केबल प्रभारों में सूचित की गई बार बार वृद्धि की स्थितियों में लागत के आधार पर टैरिफ निधारित करने के जटिलताएं भाामिल होती हैं, अतः टैरिफ प्रभारों पर नियंत्रण के रूप में सीमा निर्धारण करना उन केबल सब्सक्राइबरों को राहत प्रदान करने का व्यावहार्य तरीका समझा गया, जिनके पास सीमान्त–प्रयोक्ता के रूप में संरक्षण का कोई तंत्र नहीं था। टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण से सबंधित विभिन्न विषयों पर सिफारिभाों को अंतिम रूप देने के लिए ट्राई द्वारा जारी परामर्भा में साधारण केबल उपभोक्ता के संरक्षण के लिए आवश्यकता पर दिए गए बल को भी नोट किया जा सकता है। वाणिज्यिक संस्थापनाएं, जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके पास स्पयं को सुरक्षित करने के लिए एक तंत्र तथा साधन मौजूद है, टैरिफ विनियम पर विचार विमर्भा के क्षेत्र में नहीं थी। अतः यह देखा जा सकता है कि मुख्य उद्देश्य प्रसारण तथा केबल सेवाओं के ऐसे प्रयोक्ताओं को राहत और संरक्षण प्रदान करने के आवश्यकता थी, जिनके पास केबल प्रभारों में वृद्धि से स्वयं को संरक्षित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। अतः ऐसी संस्थापनाओं , जो प्रसारण एवं केबल सेवाओं को अपने स्वयं के घरेलू उपयोग के लिए प्राप्त नहीं करती है बल्कि अपने उपभोताओं, ग्राहकों, सदस्यों के लाभ के लिए लेती है, के लिए पृथक छूट अथवा अन्यथा का प्रश्न ऐसा मुद्दा नहीं था, जिस पर 2004 के उक्त टैरिफ आदेभाों के जारी किए जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में विभोष ध्यान दिया जाना था।

3.1.2 तथापि, इसके पश्चात होटलों के संबंध में 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेभा के श्रेणीकरण तथा प्रयोज्यता की आवश्यकता का प्रश्न ट्राई के समक्ष तब उत्पन्न हुआ जब माननीय टीडीएसएटी के सम्मुख मामला आने से काफी समय पूर्व केबल प्रभारों में वृद्धि के विरूद्ध राहत प्राप्त करने के लिए होटल एसोसिएभान से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। इस मामले की जांच करते समय यह महसूस किया गया कि 1.10 .2004 के प्रधान टैरिफ आदेभा में ऐसी स्थापनाओं, जो प्रसारण और केबल सेवाएं अपने स्वयं के प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं करती हैं, के प्रयोज्यता के वास्तविक आभाय अथवा अन्यथा के संबंध में स्पश्टता की आवश्यकता है। तथापि, इससे पूर्व की निर्णय लिया

जाता, यह मामला निर्णयाधीन हो गया। स्थापनाओं (होटलों के अलावा) से भी कतिपय संदर्भ प्राप्त हुए थे जिनमें टैरिफ विनियमों की प्रयोज्यता के मामले पर तथा निर्वचन के बारे में स्पश्टीकरण मांगे गए थे।

3.1.3 होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले पणधारियों ने तर्क दिया कि वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं के पदबंध को स्पश्ट करने की आवयश्यकता नहीं है तथा विद्यमान परिभाषा को भी जारी रखने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने दर्भााया है कि किसी साधारण केबल अंभादाता के लिए उपलब्ध विद्यमान छूट इस आधार पर होटलों को भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए कि वे सिगनलों से स्वयं व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उन्हें कोई विभोष लाभ प्राप्त नहीं होता है; कि वे भी साधारण केबल उपभोक्ता की भांति सीमान्त प्रयोक्ता है ; होटल उपभोक्ता है या नहीं, यह मामला निर्णयाधीन है तथा प्रसारक कनेक्भान काटने की धमकी पर टीवी चैनलों के लिए मनमाने ढंग से प्रभारों में वृद्धि करने जैसी पूर्ण एकाधिकार संबंधी प्रवृत्तियां अपनाते हैं और अंतर्राश्ट्रीय व्यवहार भी वाणिज्यिक सब्सक्राइबर की अवधारणा उपलब्ध नहीं कराता है। परामर्भा प्रक्रिया के दौरान अनेक अन्य दलीले भी दी गई हैं, जो मुख्य रूप से इस बारे में हैं कि वे अन्य सेवाओं की भांति इन सेवाओं के लिए अपने अतिथियों से अलग से प्रभार नहीं ले रहे हैं तथा प्रभारों को उत्पादन के मूल्य और गुणवत्ता से संबंधित होना चाहिए (सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए सिगनल समान है तथा इसमें कोई अंतर नहीं है) जो कि सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए समान है और इस पर आधारित नहीं है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि प्रसारक द्वारा उपलब्ध सेवाएं, जनोपयोगी सेवाएं, जैसे बिजली आदि नहीं है, जिनके लिए अलग से आर्थिक सहयता की आवश्यकता होती है और इस प्रकार इसमें श्रेणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता भाब्द को परिभाषित करने में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अपनाए गए दृ श्टिकोण का उपयोग करने का सुझाव भी दिया गया है। उन्होंने अन्य मुद्दे भी उठाएं हैं जैसे विभिन्न समय पर अधिभोग के स्तर पर ध्यान न देते हुए समस्त वर्ष के अंभादान का संग्रहण करने की प्रसारकों/केबल प्रचालकों की प्रथा, चैनल पसंद करने के विकल्प का अथवा, केबल प्रभारों की दरों में असमानता।

3.1.4 प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने यह देखा है कि 7 मार्च 2006 के टैरिफ संभोधन आदेभा में यथानिहित परिभाषा में परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है सिवाय कतिपय परिवर्धनों के, जिनमें टैरिफ छूट के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की चिन्हित श्रेणियां भी भाामिल हैं। एक प्रसारक ने इस आभाय का सुझाव दिया था कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों

को वह स्थान दर्भााना चाहिए जहां प्रसारकों को सेवाएं चाहिए और बहु–प्रणाली प्रचालक अथवा केबल प्रचालक के लिए नहीं, जैसा कि विद्यमान परिभाषा में उपबंधित किया गया है। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की है कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर की परिभाषा को श्रेणियों को विनिर्दिश्ट करना चाहिए तथा संरक्षण के विस्तार के लिए वाणिज्यिक स्थापनाओं की श्रेणियों की पहचान करनी चाहिए।

3.1.5 एक पृथक परिभाषा की आवश्यकता अथवा अन्यथा तथा विद्यमान परिभाषा को बनाए रखने के विषय पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है तथा प्राधिकरण का दृश्टिकोण निम्नलिखित है–

(i) ट्राई ने नोट किया है कि ऐसी स्थापनाओं, जो ग्राहकों आदि के प्रयोग के लिए सिगनल प्राप्त करती हैं तथा प्रसारकों सहित सेवा प्रदाताओं के बीच अधिक विवाद होने की आभाा है, अतः प्रधान टैरिफ आदेभा के निर्वचन में स्पश्टता लाये जाने की आवश्यकता है। परंतु ट्राई ने एक अंतिम दृश्टिकोण अपनाने से पूर्व एक परामर्भा पत्र के माध्यम से विस्तृत विचार विमर्भा करने का निर्णय लिया है, जैसा कि ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 (4) में कल्पित किया गया है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेभा में ऊपर संदर्भित प्रमुख उद्देश्य के संदर्भ में वाणिज्यिक स्थापनाओं के प्रति इसकी प्रयोजनीयता के संबंध में स्पश्टता अपेक्षित थी, वाणिज्यिक स्थापनाओं की पहचान करने तथा इन स्थापनाओं के लिए केबल प्रभारों के विनियमन की रीति का उपबंध करने की आवश्यकता है। दोनो ही मामलों में, संरक्षण में कोई विस्तार करने के लिए केबल प्रभारों पर किसी भी रूप में संरक्षण की सीमा क्या बढ़ाई जाए, इसके लिए ऐसी स्थापनाओं की अलग से पहचान किए जाने की आवश्यकता है। अतः साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर अभिव्यक्तियों को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। अतः होटल तथा इसके सहयोगियों का यह मत कि किसी पृथक परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।

(ii) साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के बीच विद्यमान परिभाषा में किया जाना वाला विभेद विभिाश्ट परिसर की दृश्टि से औचित्यपूर्ण है क्योंकि किसी साधारण केबल सब्सक्राइबर की तुलना में किसी वाणिज्यिक स्थापना के संरक्षण की आवश्यकता और व्याप्ति समान नहीं है।

(iii) यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि विभोष रूप से होटलों, जिन्होने उनके द्वारा संदत्त मूल्यों का विवरण प्रदान किया है, द्वारा भुगतान किए प्रभार सामान्य केबल उपभाक्ताओं की तुलना में भिन्न और अधिक हैं। अतः निम्न स्तर पर भी वाणिज्यिक स्थापनाएं, विभोष रूप से होटल तथा अन्य समान स्थापनाएं विद्यमान व्यवसाय प्रचलन के अनुसर अलग अलग मानी जाती हैं।

(iv) दृश्टिकोण के सबंध में एक विकल्प ऐसी परिभाषा को अपनाना है, जो व्याप्ति में विस्तृत तथा प्रकृति में सम्मिलनकारी हो, जैसा कि विद्यमान परिभाषा में किया गया है जिसमें केबल सब्सक्राइबरों को श्रेणीबद्ध करने के आधार के रूप में प्रयोग का मानदण्ड अपनाती है। इस दृश्टिकोण में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की विनिर्दिश्ट श्रेणियों की पहचान का कार्य संरक्षण की आवश्यकता के मूल्यांकन पर निर्भर करते हुए टैरिफ विनियम के विस्तार अथवा अन्यथा के प्रयोजन के लिए किया गया है। अन्य दृश्टिकोण एक ऐसी परिभाषा अपनाना है, जो टैरिफ विनियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिश्ट श्रेणियों और उपश्रेणियों की व्यापक रूप से पहचान करती है तथा जिसमें ऐसी परिभाषित प्रत्येक श्रेणी के लिए विनियम के प्रकार को दर्भााया गया है। प्राधिकरण ने इस कारण से कि यह श्रेणीकरण के लिए उद्देश्यपरक मानदण्ड तैयार करने में अत्यंत जटिल है, पहला दृश्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है। यहां तक कि श्रेणीकरण पर दृश्टिकोण में प्राधिकरण ने टैरिफ विनियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की कतिपय श्रेणियों को बाहर करने की पद्धति अपनाई है और इस प्रकार वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की अवभािश्ट श्रेणी को टैरिफ विनियमों की पहुच के भीतर कर दिया है। विनिर्दिश्ट श्रेणी को परिभाषित करने का काई दृश्टिकोण किसी को बाहर छोड़ने तथा कतिपय अप्रत्याभितों को भाामिल करने का कार्य करेगा। अपनी प्रतिक्रिया में पणधारियों ने केबल सब्सक्राइबरों के श्रेणीकरण के लिए मानदण्ड तैयार करने में कठिनाई के बारे में समान विचार रखे हैं। टैरिफ विनियमों में विभिन्न छूट प्रदान करते समय इस व्यापक परिभाषा के भीतर विनिर्दिश्ट वृहद समूहों की पहचान करना आसान और बेहतर होगा। ऐसा दृश्टिकोण विवादों के लिए अवसरों को भी कम करेगा। एक वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर को परिभाषित करने में एक व्यापक दृश्टिकोण रखना यह सुनिश्चित करेगा कि सभी इसमें भाामिल हैं, तथा वे जिन्हें संरक्षण की आवश्यता नहीं है विनिर्दिश्ट रूप से बाहर किए जा सकते है। अतः प्राधिकरण ने एक परिभाषा को रखने का यह दृश्टिकोण अपनाया है, जो व्याप्ति में व्यापक है तथा टैरिफ विनियम के प्रयोजनार्थ विनिर्दिश्ट समूहों की पहचान करने के लिए संरक्षण की आवश्यकता पर आधारित है।

(v) इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उत्पाद समान है, भले ही यह एक साधारण केबल उपभोक्ता है अथवा वाणिज्यिक स्थापना परंतु टीवी चैनलों के मामले में उत्पाद से प्राप्त किया गया मूल्य ऐसी स्थितियों में समान नहीं होता है जहां यह ऐसी स्थिति जिसमें यह इसके ग्राहकों, उपभोक्ताओं के प्रयोजन के लिए आभायित है, की तुलना में स्वयं के प्रयोग के लिए रखा जाता है। टेलीविजन चैनल अथवा कार्यक्रम, भले ही वह वाणिज्यिक स्थापनाओं, विभोष रूप से होटलों आदि द्वारा उत्कृश्ट सेवा के रूप में बेचे न भी जा रहे हों, परंतु वे मनोरंजन के एक साधन के रूप में हों, उनकी पैकेज सेवाओं को एक वर्धित मूल्य देने के लिए क्षमता अवश्य रखते हैं। अतः यह तरीका कि प्रसारण सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, एक साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा एक वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के बीच अंतर करने के लिए प्रासंगिक बन जाता है।

(vi) परिभाषा के लिए अथवा संरक्षण के विस्तार हेतु वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के समूह के भीतर विनिर्दिश्ट श्रेणियों की पहचान करने के सुझाव के संबंध में, यह देखा गया है कि प्रयोग के आधार पर आधारित विद्यमान परिभाषा अत्यंत वृहद है तथा साथ ही यह ऐसी विनिर्दिश्ट श्रेणियों को कवर करती है।

(vii) मूल वास्तविकता पर विचार करते हुए, जहां 99 प्रतिभात सब्सक्राइबर मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों अथवा केबल आपरेटरों के माध्यम से सिगनल प्राप्त कर रहे हैं, ब्राडकास्टरों का यह सुझाव कि वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को यह स्थान दर्भाए जाने की आवश्यकता होगी जहां सिगनल केबल ब्राडकास्टरों के लिए अपेक्षित होगें तथा आपरेटरों के लिए नहीं, स्वीकार्य नहीं हैं। विद्यमान परिभाषा लचीलापन प्रदान करती है चूंकि अन्यथा सुझाए गए प्रतिबंध होटलों आदि की विद्यमान व्यवस्थाओं के विभाल बहुमत के साथ आपरेटरों के संबंध में समस्याएं पैदा करेंगें।

(viii) एजेंट तथा मध्यस्थ (ब्राडकास्टरों के) के भाब्द के सम्मिलन के लिए सुझाए गए संभोधनों की जांच की गई थी तथा उन्हें आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि मध्यस्थ केबल प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करेंगे तथा अन्यथा वे ब्राडकास्टरों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ix) जैसा कि कुछ पणधारियों द्वारा भी बताया गया है, प्राधिकरण का मत है कि श्रेणीकरण के लिए कोई भी एकल दृश्टिकोण आदर्भा नहीं होगा तथा सूक्ष्म–प्रबंधन के प्रयास केबल बाजार में गतिरोध पैदा करेंगे जिससे विवाद पैदा होने का नवीन आधार पैदा हो जाएगा। दूसरी ओर वाणिज्यिक स्थापनाओं की व्यापक संख्या विद्यमान परिभाषा की व्याप्ति के अंतर्गत आ जाएगी तथा

फिर भी इसे संरक्षण की आवश्यकता होगी, जैसी कि किसी साधारण केबल सब्सक्राइबर को होती है।

(x) यह उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पे–टीवी ब्राडकास्टरों के लिए पृथक अंतरसंयोजन करार होने चाहिए तथा ऐसे करार ऐसे मूल्य के लिए किए जाने चाहिए जो किसी इलाके में किसी साधारण केबल उपभोक्ता के लिए प्रभारित किया जा रहा था। प्राधिकरण ने नोट किया है कि मुख्य तौर पर ब्राडकास्टर एमएसओ के साथ अंतर्संयोजन करार कर रहे हैं तथा स्वतंत्र केबल आपरेटर प्रयोज्यता से विनिर्दिश्ट स्थापनाएं जैसे होटल आदि निकाल रहे हैं तथा पूर्व अनुमति अपेक्षा का निर्धारण कर रहे हैं। अतः पृथक प्रबंधन का मुद्दा अपने स्थान पर है तथा वर्तमान व्यवस्थाओं में इस पहलू में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(xi) एक सुझाव है कि चूंकि उत्पाद समान है, अतः लाइसेंस फीस भिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न नहीं हो सकती और यह लागत तथा लाभ के आधार पर अवधारित की जानी चाहिए। आदर्भा रूप में, समान गुणवत्ता वाले किसी उत्पाद के लिए एक समान मूल्य एक स्थिति तब बन सकता है, जब वस्तु की लागत तथा वस्तु के साथ जुड़े मूल्य के बीच में एक निश्चित कार्यात्मक संबंध हो और स्वयं वस्तु की लागत, लागत का एक मानक सेट तैयार करने के लिए आसानी से समर्थ हों। ब्राडकास्टिंग उद्योग के मामले में ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्क लाभ के निर्धारण की विद्यमान प्रणाली के समुचित एप्रीसिएभान पर आधारित नहीं है विभोष रूप से एक गैर–कैस वातावरण में तथा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वस्तु की लागत निर्धारण में अंतर्निहित जटिलताओं पर विचार न करते हुए।

(xii) होटल एसोसिएभानों के दावों के प्रतिकूल, प्राधिकरण का मत है कि सेवाओं की विविधता प्रदान करने वाले बड़े होटलों के पास अपने हितों की संरक्षा करने की क्षमता है तथा उन्हें एक साधारण केबल उपभोक्ता के समान नहीं माना जा सकता है अथवा यहां तक कि उन्हें एक वाणिज्यिक स्थापनाओं की व्यापक किस्मों के समान भी नहीं माना जा सकता है जिन्हें साधारण केबल उपभोक्ता के समान संरक्षण की आवश्यकता है। ऐसी अनेक प्रकार की स्थापनाएं ग्राहको, उपभोक्ताओं आदि के लाभ के लिए ऐसी सेवाओं का उपयोग नहीं कर रही है। ब्राडकास्टरों द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि होटलों के एक भाग के रूप में केबल प्रभार एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं तथा इसका परामर्भा प्रक्रिया के दौरान उन समूहों द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अन्य दूसरे भाब्दों में, इस चिन्हित श्रेणी को संरक्षण के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की प्रभाव की उनके हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है।

(xiii) यह नोट किया जाए कि फीड के स्रोत के आधार पर श्रेणीकरण का सुझाव मौलिक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा तथा ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां टेलीविजन सिगनलों को प्राप्त करने की पहुंच प्राप्त करना संभव नहीं हो तथा ऐसा दृश्टिकोण होटलो को ब्राडकास्टरों के साथ करार करने के स्थान पर सिगनल प्राप्त करने के लिए केबल आपरेटरों के पास जाने को विवभा करेगा।

(xiv) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम... उपभोक्ता भाब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है–

(घ) <u>उपभोक्ता</u> से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो–

(i) किसी विचारण के लिए कोई माल खरीदता है जिसका भुगतान कर दिया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंभिाक रूप से भुगतान किया गया है तथा आंभिाक रूप से वायदा किया गया है, अथवा अस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अधीन किया गया है, तथा इसमें भाामिल हैं ऐसे माल का कोई ऐसा प्रयोक्ता जो विचारण के लिए ऐसा माल खरीदता है जो संदत्त है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंभिाक रूप से भुगतान किया गया है अथव आंभिाक रूप से वायदा किया गया है अथवा अस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है, जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया गया है , परंतु इसमें वह व्यक्ति भाामिल नहीं है जो पुनः बिक्री अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन से ऐसा माल प्राप्त करता है, अथवा

(ii) किसी विचारण के लिए कोई सेवा किराए पर लेता है अथवा उसका उपयोग करता है जिसका भुगतान किया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंभिाक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंभिाक रूप से वायदा किया गया है अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है तथा इसमें ऐसी सेवाओं का कोई लाभार्थी भाामिल है, सिवाए ऐसे व्यक्ति के जो विचारण के लिए सेवाएं किराए पर लेता है अथवा उसका उपयोग करता है जिसका भुगतान किया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंभिाक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंभिाक रूप से वायदा किया गया है अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है, जब ऐसी सेवाएं प्रथम– उल्लिखित व्यक्ति के अनुमोदन से प्राप्त की गई हैं,

<u>स्पश्टीकरण:</u> उपखण्ड (i) प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक प्रयोजन" में किसी उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए अथवा अनन्य रूप से अपनी जीविका प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए स्वरोजगार के माध्यम से उसके द्वारा प्रयोग किए गए माल का प्रयोग भाामिल नहीं है ;

बुनियादी तौर पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य और तात्पर्य तथा टैरिफ नियतन के लिए ट्राई की भाक्तियों का प्रयोग, दो बिलकुल भिन्न मामले हैं। धारा 11 (2) के अंतर्गत परिकल्पित टैरिफ विनियम, विभोष रूप से परंतुक, उल्लेख किए गए कारणों के अध्यधीन टैरिफ के प्रयोजनों के लिए नैसर्गिक रूप से विभिन्न उपचार का प्रावधान करता है जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जो सदृश्य श्रेणियों का सृजन करे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निहित वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ व्याख्या को इस बात से ही आरोपित किए जाने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर निर्भरता का यह सुझाव सहायक नहीं पाया गया है।

3.1.6 प्राधिकरण प्रस्तुत किए गए विचारों पर विचार करने के पश्चात तथा उक्त संदर्भित कारणों से इस निश्कर्ष पर पहुंचा है कि विनिर्दिश्ट रूप से चिन्हित श्रेणियों के आधार पर परिभाषा के लिए दृश्टिकोण क्रियान्वयन हेतु अधिक जटिल तथा समस्याप्रद होगा, तथा इससे विवादों के लिए नए आधार पैदा होने की पूरी संभावना है। अतः परिभाषा के प्रश्न के लिए एक व्यापक दृश्टिकोण अपनाना अधिक व्यवहार्य होगा। जिन समूहों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें टैरिफ संरक्षण की प्रयोजनीयता से हटाया जा सकता है तथा भोष को ऐसी अवभिाश्ट श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनके लिए संरक्षण की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण ने 7 मार्च, 2006 के टैरिफ संभाोधन आदेभा में निहित वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की विद्यमान परिभाषा को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

3.2 वाणिज्यिक टैरिफ के निर्धारण की आवश्यकता और संबंधित मुद्दे भाामिल किए जाने वाले वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों के प्रकार और विनियमन के लिए ऐसे वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों के चिन्हित किए जाने की पद्धति।

3.2.1 एक गैर–निवारक क्षेत्र के अंतर्गत चैनलों को चुनने की सुविधा के संदर्भ में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर सामान्य केबल उपभोक्ताओं के समान स्थिति में हैं सिवाय इस बात के कि ब्राडकास्टर के साथ मोलभाव के निपटान के लिए उसके पास सक्षमता है, बभार्ते की सक्षमता का स्तर वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के सभी प्रकारों के लिए समान नहीं होगा।

3.2.2 परंतु इसमें यह अंतर है कि पूर्ववर्ती, विभोषकर होटल और अन्य बड़े वाणिज्यिक प्रतिश्ठान, जो ब्राडकास्टिंग और केबल सेवाएं उनके अपने पैकेज के साथ मूल्य वर्धित रूप में प्राप्त करते हैं, द्वारा इस भार को अपने ग्राहको पर डाला जा सकता है। टेलीविजन चैनलों और व्यापार क्षमता जैसी अतिरिक्त सेवाओं के बीच प्रत्यक्ष कार्यात्मक संबंध नहीं हो सकता है जैसाकि किसी होटल या पब या क्लब का ग्राहक केबल टीवी देखने के उद्देश्य से होटल या पब या क्लब आदि में नहीं आएगा। परंतु सामान्यत इस बात को स्वीकारना होगा कि होटल के प्रतिनिधि पणधारकों द्वारा किए गए प्रतिकूल दावों के बावजूद ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं से ऐसे वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों को उनके ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखने और उसे मजबूत बनाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो होटलों को वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, विभोषकर होटलों पर लगने वाले टैरिफ के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपीलीय प्राधिकरण या भीर्ष न्यायालय या ट्राई पर ले जाने की संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ती।

3.2.3 किस वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को संरक्षण दिया जाना चाहिए और किसे छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसे वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों का पता लगाने की पद्धति क्या हो सकती है, इस मुद्दे पर प्रकट किए गए विचार संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

(i) होटल सहित वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को साधारण केबल सब्क्राइबरों के समतुल्य रखने दिया जाए जिससे बाहर रखने या भाामिल करने का प्रश्न और उसकी पद्धति का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसका कारण यह बताया गया कि जिस बाजार में ब्राडकास्टर आपरेट करता है, वह एकाधिकारात्मक है जिसमें अभी तक प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है। इसके लिए ब्राडकास्टर को प्रदान किया जाने वाला एकमात्र सुरक्षोपाय मुद्रास्फीति तथा उद्योग के विकास को ध्यान में रखा जाना है।

(ii) भाामिल न किए जाने के लिए विभिाश्ट चिह्नांकन किए गए है जिसमें वृद्धाश्रम और अस्पताल जिन्हें सरकारी वित्तपोषण से चलाया जा रहा है तथा जो निर्धन या सामाजिक रूप से

पिछड़े वर्गों के लिए चलाया जा रहा है या लाभ प्राप्त न करने वाली/धर्मार्थ संगठनों, लघु प्रतिश्ठानों और इसी तरह के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, उपभोक्ता की पसंद की पद्धति न रखे जाने तक पांच सितारा होटलों के सिवाय सभी प्रतिश्ठान, विकलांगों की संस्थाएं, जेल, सुधार गृह, बालक और महिला रिमांड गृह छोटे दुकानदार, भौक्षणिक संस्थान, सभी प्रकार के धार्मिक स्थान, आवासीय चिकित्सीय देखरेख यूनिटें आती हैं।

(iii) होटलों द्वारा एक अंतर रखे जाने की मांग की गई है जिसमें यह बताया गया कि जो सिगनलों का स्वयं उपयोग करने वाले सब्सक्राइबरों और आगे पारेषण करने वालों के बीच भेद किया जाना चाहिए। चूंकि होटल सिग्नलों का उपयोग स्वयं करते है इसलिए उन्हें वाणिज्यिक सब्सक्राइबर नहीं माना जाना चाहिए।

(iv) समूह के रूप में ब्राडकास्टरों ने यह सुझाव दिया कि वाणिज्यिक टैरिफों को, कतिपय चिन्हित श्रेणियां जो ऊपर (दो) में उल्लिखित किए गए के समान है तथा जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, कि सिवाय, बाजार की भाक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

(v) दूसरी राय यह है कि यदि कोई अ–ला–कार्ट पसंद या चैनलों को पृथक कंडयूट के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा रहा है तो वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

(vi) ग्रेटर गुवाहाटी होटल एसोसिएभान ने यह सुझाव दिया कि निम्न टैरिफ वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के होटलों को रियायती टैरिफ दिया जाना चाहिए।

(vii) 2 नवम्बर, 2006 को वेबसाइट पर दिए गए मसौदा टैरिफ आदेभाों के प्रत्युत्तर में और 9 नवम्बर, 2006 को आयोजित पृथक बैठक में कतिपय विभािश्ट टिप्पणियां प्राप्त हुई। संक्षेप में ये टिप्पणियां निम्नानुसार है :-

I ब्राडकास्टर और उनके डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया गयाः–

(क) कैस और गैर–कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ विनियमन के प्रयोजन के लिए क्लब, बार, वाणिज्यिक मॉल, सिनेमा हॉल को तीन स्टार और उससे उपर की ग्रेडिंग के होटल आदि की श्रेणी

में भाामिल किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया कि आवास और रहने की सुविधा प्रदान करने वाले प्रतिश्ठानों के संबंध में कट आफ मापदंड को 50 कमरों से कम करके 25 कमरे किए जाएं।

(ख) गैर–विनियमित किए गए को छोड़कर वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के संबंध में प्रभारों के निर्धारण की संगत तारीख 16.12.2003 से न होकर 1 मार्च, 2006 से होनी चाहिए जैसाकि 7 मार्च के टैरिफ संभाोधन आदेभा में अंतर्विश्ट है।

(ग) दूसरा सुझाव टैरिफ विनियमन के प्रयोजन से 30 बिस्तरों या उससे अधिक वाले सभी अस्पतालों और यहां तक कि एक या दो स्टार की ग्रेडिंग वाले होटलों को भी पहले ही चिन्हित तीन स्टार और उससे ऊपर की ग्रेडिंग वाले होटल के साथ भाामिल किए जाने के लिए था।

(घ) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए मसौदा टैरिफ आदेभाों में दी गई छूट– एक श्रेणी आपसी करार के अध्यधीन और दूसरी भोष श्रेणी साधारण केबल सब्सक्राइबरों के रूप में भाासित होती है– यह पब्लिक व्यूइंग एरिया में दिए गए ब्राडकास्ट सेवाओं और उसके टैरिफ के उपयोग की स्थिति के बारे में स्पश्ट नहीं है और इसे भी उस श्रेणी में भाामिल किया जाना चाहिए जहां टैरिफ का निर्णय कैस और गैर–कैस दोनों क्षेत्रों में आपसी करार द्वारा होता है।

(ड़) गैर कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेभा जिसमें एक व्याख्या अंतर्विश्ट है और यह उल्लेख किया है कि कमर्भियल केबल सब्सक्राइबर के लिए भुगतान की व्यवस्था क्या होगी जो मसौदा कैस एरिया टैरिफ आदेभा में नहीं दिया गया है और जिसे 7 मार्च, 2006 के यथासंभाोधित अंतरिम टैरिफ संभाोधन आदेभा में दिए गए अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

II होटलों की ओर से निम्निलिखित बिन्दुओं को उठाया गयाः

(क) ट्राई को वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए टैरिफ निर्धारण से पूर्व एक पृथक परामर्भा पत्र या एक युक्तिका परामर्भा पत्र जारी करना चाहिए। अतः वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए टैरिफ तैयार करने का वर्तमान कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेभाों के अनुसार नहीं होगा और इसलिए मसौदा आदेभा को अस्थगित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

(ख) टैरिफ आदेभा गैर विनियमन के प्रयोजन के लिए तीन स्टार और ऊपर के ग्रेडिंग के होटलों को अलग करता है हालांकि वहां अनेक समान स्थापनाएं हो सकती है और यह पक्षपातपूर्ण है।

(ग) जब ट्राई ने गैर कैस क्षेत्रों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 5 रूपये निर्धारित किया है इसी दर को होटल जैसे वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

(घ) आपसी करार पर छोड़े जाने की बजाय ट्राई को चाहिए कि वह टैरिफ निर्धारित करे जिसके लिए वह इन होटलों द्वारा भुगतान की गई ऐतिहासिक कीमतों का उपयोग कर सकता है अथवा टैरिफ को उससे 10 % अधिक किया जा सकता है जिस पर इसका भुगतान किया जा रहा था।

(ड़) टैरिफ आदेभा जो 2004 के मूल आदेभा में किया गया संभोधन है, यह निर्वचन के अध्यधीन हो सकता है, जो भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभारों (टैरिफ की दरों) के लिए बातचीत पर जोर देने के लिए विभोषकर गैर–विनियमित होटलों के संदर्भ में है।

(च) होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों की दलील थी कि गैर–कैस क्षेत्रों की दभाा में भी पृथक–पृथक चैनल की कीमत निर्धारण पर प्रस्तावित कैस क्षेत्र की भांति प्रतिबंध होना चाहिए।

III भोजन तथा आवास सुविधाएं प्रदान करने वाली अन्य वाणिज्यिक स्थापना के लिए विनिर्धारित कमरों की संख्या के संदर्भ में कटऑफ लाइन को 50 से घटाकर 25 कर दिया जाना चाहिए। टैरिफ का निर्णय आपस में (3 सितारा अथवा ऊपर की ग्रेडिंग वाले होटलों से मिलकर बने समूह के संबंध में) एमएसओ/एलसीओ तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के बीच किया जाना चाहिए, सीधे ब्राडकास्टर के साथ नहीं।

3.2.4 प्राधिकरण ने यह नोट किया कि होटल जो प्रदत्त सेवाओं के आधार पर ग्रेडिंग प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना में अन्य संस्थानों का चिह्नांकन या विभेद के लिए कोई स्पश्ट सीमा रेखा नहीं है। आच्छादित क्षेत्रफल, टीवी सेटों की संख्या, व्यवसाय की मात्रा, जो कुछ मानदण्ड बन सकते हैं, के आधार पर किए जाने वाले विभेदन का कोई भी कार्य विवाद को जन्म दे सकता है और यह पक्षपात रहित नहीं हो सकेगा।

3.2.5 प्राधिकरण ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि कई ऐसे बड़े संस्थान हैं जो अस्पताल, भौक्षणिक संस्थान की श्रेणी में आते हैं जिनकी स्थिति केबल ब्राडकास्टिंग सेवाओं के वाणिज्यिक

दोहन की क्षमता के अनुसार बड़े होटलों के समान हो सकती है। दूसरे भाब्दों में, किसी विभोष ग्रेडिंग या विभोष प्रकार के होटल को टैरिफ संरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरी ओर ब्राडकास्टरों ने अस्पतालों, तीन स्टार से कम की ग्रेडिंग वाले होटलों का संदर्भ दिया और यह माना कि ये संस्थान वाणिज्यिक दोहन कर रहे हैं तथा उन्हें भी टैरिफ विनियमन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

3.2.6 प्राधिकरण की यह राय है कि चिन्ह्ति किए गए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के समूह जिसमें दी गई ग्रेडिंग से ऊपर की ग्रेडिंग वाले होटल आदि आते हैं तथा अस्पतालों के बीच बिल्कुल सादृश्यता रखना ठीक नहीं होगा क्योंकि होटल आदि पर समूह के रूप में भिन्न मापदण्ड पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राधिकरण ने वर्तमान के लिए एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें क्लबों, अस्पतालों, भौक्षिणिक संस्थानों को, ऐसे संस्थानों से अपेक्षित सामाजिक आर्थिक दायित्वों को दृश्टिगत रखते हुए बड़े–छोटे, समूह वाले होटल आदि जो विभिाश्ट ग्रेडिंग से ऊपर के हैं, के साथ नहीं रखा गया है। इसके अलावा, दो लक्जरी अस्पतालों के बीच विभेद करने के युक्तिसंगत वस्तुपरक मापदण्ड विकसित करना और अधिक कठिन होगा। प्राधिकरण को यह स्पश्ट है कि संरक्षण का उद्देश्य ऐसे वाणिज्यिक अस्पतालों को लाभ अर्जन की सुविधा मुहैया कराना नहीं है, इसलिए वर्तमान में और आरंभ में अस्पतालों को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

3.2.7 यद्यपि प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त अनुभव के आधार पर टैरिफ विनियमन के प्रयोजन से वर्गीकरण के मुद्दे पर पुनः वापस जाने के विकल्प से सहमत नहीं है। यह भी मानना होगा कि ऐसे बहुत से प्रतिश्ठान हैं जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु वे अपने स्वयं के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन नहीं करते हैं। इस श्रेणी में भौक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, धार्मिक पूर्त और अन्य मानव सेवा संस्थान, छोटी दुकानें, और ढाबा आदि और यह पूरी सूची नहीं है, आते हैं। ब्राडकास्टरों के साथ विचार–विमर्भा के दौरान यह स्पश्ट हुआ कि यद्यपि करार के अनुसार इन वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों को ब्राडकास्टर की अनुमति के बिना सिगनल नहीं दिया जाना है, का केवल मात्रा और करार को प्रवर्तित करने में आने वाली कठिनाईयों के कारण ब्राडकास्टरों द्वारा लक्षित नहीं किया गया है। यद्यपि कुछ ब्राडकास्टरों ने वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों को एमएसओ द्वारा सिगनल

दिए जाने और उसको मॉनीटर करने के लिए एजेंट नियुक्त किए हैं। यह अभी भी स्पश्ट है कि यह समूह ब्राडकास्टरों का लक्ष्य नहीं है।

3.2.8 प्राधिकरण ने पणधारकों द्वारा दिए गए विभिन्न विभिाश्ट टिपण्णियों/ सुझावों की भी जांच की और यह पाया कि –

(i) टैरिफ विनियमन के प्रयोजन के लिए भाामिल न किए जाने या भाामिल किए जाने वाले प्रतिश्ठानों की प्रत्येक श्रेणी का पता लगाने का दृश्टिकोण

(ii) तथापि पब्लिक व्यूइंग एरिया को भाामिल किए जाने के बारे में किए गए अनुरोध को विभिाश्ट रूप से भाामिल नहीं किया गया है क्योंकि गैर–विनियमित श्रेणी जिसमें 3 स्टार या उससे उपर की ग्रेडिंग के होटल भाामिल हैं, के संबंध में प्रस्तावित टैरिफ छूट "पब्लिक व्यूइंग एरिया" के संबंध में आपसी करार के मार्ग में भी दिया गया है। ब्राडकास्टरों के साथ हुई बैठक में उनके द्वारा इसे स्पश्ट किए जाने की सलाह दी गई। इसके अलावा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की गैर चिन्हित श्रेणी से भी वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा भाुल्क निर्धारित करके कार्यक्रमों के वाणिज्यिक दोहन की निश्चित मंभाा से कार्यक्रमों को दिखाने के लिए लोक कार्यक्रमों का उपयोग असामान्य बात नहीं है। भोष श्रेणी में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को संरक्षण देने की मंभाा का ऐसे कार्यक्रमों को विभिाश्ट रूप से भाामिल न किए जाने के अभाव का दुरूपयोग हो सकता है। अतः टैरिफ आदेभाों को समुचित रूप से संभााधित करके इसके लिए उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

(iii) क्लब, मॉल, सिनेमा हॉल को भाामिल किए जाने के लिए किए गए अनुरोध के बारे में किए गए प्रस्ताव को पहले बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। कमरों की संख्या को 50 से कम करके 25 किए जाने का प्रस्ताव भी तर्कसंगत नहीं पाया गया।

(iv) क्षेत्रफल या टीवी सेटों की संख्या पर आधारित मानदण्ड भी और अधिक व्यक्तिपरक वर्गीकरण होगा और जिसे कार्यान्वित करना कठिन होगा।

(v) जैसा कि परामर्भा की प्रक्रिया के दौरान नोट किया गया था वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों की बहुत अधिक संख्या जो चिन्हित श्रेणी से इतर के वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों के समूह में आते हैं वे

वस्तुतः ब्राडकास्टरों द्वारा लक्षित नहीं किए जा रहे हैं सम्भवतः इसका कारण पूर्वानुमति के खण्ड के प्रवर्तन में आने वाली कठिनाईयां हैं।

(vi) इन किसी भी दभाा में ट्राई की राय में इनमें से अधिकांभा समूह अपने दर के बारे में बातचीन नहीं कर पाएंगें और इसलिए उन्हें सामान्य केबल उपभोक्ता की भांति संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

(vii) समूह के रूप में होटल विभोष रूप से बड़े होटलों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े सब्सक्राइबर हैं और यदि उनके साथ ब्राडकास्टरों का सौदा सफल नहीं होता है तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

(viii) पणधारकों ने भी यह प्रस्ताव किया कि संस्थानों की कुछ श्रेणियां जो सेवाओं को उपयोग वाणिज्यिक दोहन के लिए नहीं करते है उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। प्राधिकरण ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इससे यह विवाद उत्पन्न होगा कि विभिाश्ट सब्सक्राइबर सिगनलों का वाणिज्यिक दोहन कर रहा है या नहीं।

(ix) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा भुगतान के आधार का उपबंध करने वाली व्याख्या के बारे में मसौदा टैरिफ आदेभा में एक परिवर्तन का सुझाव दिया गया जिससे यह स्पश्ट हो सके कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर अधिकृत केबल आपरेटर/ एमएसओ के साथ करार करता है।

3.2.9 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर की एक श्रेणी होगी जिसमें 3 स्टार और उससे ऊपर की रेटिंग के होटल, हैरिटेज होटल और अन्य होटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक प्रतिश्ठान, जो आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा जिनमें 50 या अधिक कमरे हैं, भाामिल होंगे। इस समूह के संबंध में टैरिफ आपसी करार के अनुसार होगा। इस चिन्हित श्रेणी से बाहर के अन्य सभी वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों के लिए सीमा वह प्रभार होगी जो 26.12.2003 को विद्यमान थी। तथापि दोनों श्रेणियों के वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए पब्लिक व्यूइंग एरिया में विभोष समारोह पर कार्यक्रम दिखाने के लिए टैरिफ आपसी करार के अनुसार होगा।

3.2.10 प्राधिकरण ने होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह के सुझाव पर भी विचार किया है कि बड़े होटलों की एक बड़ी संख्या जो अनिवार्य रूप से ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के समूह के अंतर्गत आते हैं, जिनका टैरिफ आपसी करार द्वारा अवधारित किया जाता है, का अपना अपना तर्क है। यह तर्क दिया गया कि उन्हें चैनलों की पसंद की अनुमति भी दी जानी चाहिए जो कि कैस क्षेत्रों के लिए लागू के अनुसार कुछ छूट के अध्यधीन होगा। दूसरे भाब्दों में, अनुरोध में यह निहित होगा कि टैरिफ पारस्परिक करार के अध्यधीन होगा परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की अ–ला–कार्टे चैनल का विकल्प होगा तथा चैनल समूह की मूल्य दर कतिपय प्रतिबंधों के अध्यधीन होगी जैसाकि कैस क्षेत्रों की समान श्रेणी में पड़ने वाले वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव स्वीकार्य है क्योकि पार्टियां टैरिफ को पारस्परिक करार के आधार पर निर्णित करेगी और विकल्प का प्रयोग करने के लिए यह एक वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य है। किसी गैर कैस क्षेत्र में प्रचलित एमएसओ के बीच एक अंतर बनाया जाना चाहिए तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, होटल का अपना क्षेत्र होगा। पूर्ववर्ती मामले में, पसंद पूर्ण नहीं होगी तथा यह निवारक प्रणाली के अभाव में उपभोक्ता को संतुश्ट नहीं करेगी जबकि पश्चातवर्ती के मामले में होटलों को अपने ग्राहकों की पसंद के लोकप्रिय चैनल चुनना संभव होगा।

3.2.11 होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों, विभोषकर जो पहचान कर ली गई स्थापनाओं के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ने चिंता व्यक्त की है कि ब्राडकास्टर मनमाने ढंग से मूल्य बढ़ाने के लिए आपसी करार के मार्ग का प्रयोग करेंगे। प्राधिकरण का मानना है कि स्थगन के लिए पहचान कर ली गई वाणिज्यिक स्थापनाओं के वर्ग बातचीत करने के लिए ब्राडकास्टरों के साथ साधारणतः बराबरी की स्थिति में होंगे। तथापि, प्राधिकरण उनकी चिंताओं के प्रति बेखबर भी नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण इस खण्ड के मूल्यों के संचलन को ध्यानपूर्वक देखेगा और यदि आवश्यक हुआ तो प्राप्त हुए इनपुट के आधार पर अपने निर्णय की समीक्षा करेगा। इसी प्रकार, ऐसी कई संस्थाएं होगी, जो कि आपसी करार के लिए बातचीत करने के क्षमता के संदर्भ में समान हो और इनके पास बाद में जाया जा सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो पहचानी गई सूची की समीक्षा की जा सकती है। प्राधिकरण मूल्यों में वृद्धि की सीमा जानने के लिए भुरूआत में मासिक आधार पर ब्राडकास्टरों से वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के लिए उनके टैरिफ के बारे में अलग से पूछेगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

3.2.12 होटल संगठनों द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों में से एक मुद्दा तथा ड्राफ्ट टैरिफ आदेभा के प्रति उनका उत्तर यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेभा के संदर्भ में ट्राई को आवश्यक रूप से टैरिफ निर्धारित करना चाहिए। इस विषय की जांच की गई है। उच्चतम न्यायालय ने ट्राई को केबल टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का निर्देभा दिया है। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित टैरिफ आदेभा में कतिपय वर्गों के लिए टैरिफ का नियतन भाामिल है जबकि किसी ग्रेड विभोष से ऊपर के होटलों के मामले में इसे आपसी बातचीत पर छोड़ दिया गया है। अन्यत्र यह भी इंगित किया गया है कि आपसी बातचीत के परिणाम पर सूक्ष्म नजर रखी जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में हस्तक्षेप किया जाएगा। अप्रैल, 2006 में जारी किया गया परामर्भा पत्र भी एक विकल्प के रूप में टैरिफ विनियमों के अधिकार क्षेत्र से कतिपय वर्गों को छोड़ने का स्पश्ट रूप से प्रावधान करता है। बनाए गए विनिर्दिश्ट प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि वाणिज्यिक टैरिफ को टैरिफ विनियम के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा, यह विनिर्दिश्ट रूप से पूछा गया था कि क्या टैरिफ विनियम को सभी प्रकार के वाणिज्यिक स्थापनाओं को कवर करना चाहिए या कुछ वर्ग छोड़ दिए जाने चाहिएं। अतः यह आपत्ति बिल्कुल भी वैध नहीं है।

3.2.13 होटल संगठनों द्वारा उठाया गया अन्य मुद्दा यह है कि एक नया परामर्भा पत्र जारी किया जाए या विद्यमान परामर्भा पत्र की एक युक्तिका जारी की जाए। इस बात का विनिर्दिश्ट रूप से समाधान माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेभा द्वारा किया गया है जिसमें स्पश्ट रूप से नए परामर्भा पत्र की आवश्यकता से मना कर दिया गया है। तदनुसार ट्राई अधिनियम की धारा 11 (4) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने ड्राफ्ट टैरिफ आदेभा का प्रस्ताव करने का निर्णय किया है जिससे की पणधारको को अपनी टिप्पणियां करने का एक और अवसर दिया जा सके। होटलों और होटल संगठनों जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले के पक्ष हैं,को भी 9 नवम्बर, 2006 व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ उसी प्रकार दिया गया जैसा कि ब्राडकास्टरों को दिया गया था।

3.3 <u>वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की दरें निर्धारित करने की पद्धति</u>

3.3.1 परामर्भा प्रक्रिया के दौरान विद्यमान दरों के बारे में होटल संगठनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह नोट किया गया कि होटलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले केबल प्रभारों में

कोई एकरूपता नहीं है। हालांकि ब्राडकास्टरों ने बताया है कि वे रेड कार्ड के आधार पर होटलों से प्रभार वसूल रहे हैं और उनमें से कुछेक ने बताया है कि पिछले दो वर्षों से (भाायद विवाद के टीडीएसएटी के पास पहुंचने की तारीख से पहले) प्रति कमरा दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, यह नोट किया गया कि कुल भुगतान में तय कर लिए गए होटलों के अधिभोगिता स्तर, जिसके लिए केबल प्रभार लिए जाते हैं, के अनुसार भिन्नता हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में होटल केबल आपरेटरों और एमएसओ से फीड प्राप्त करते हैं (जोकि इंटरकनेक्ट करार में देखे गए निर्धारण के अनुसार विधिक नहीं हैं) जिससे की होटलों से वसूली जाने वाली दरों में अनेकता आ गई है। दरों में अनेकता, भुगतान करने की क्षमता पर आधारित गैर निवारक प्रणाली में प्रचलित क्रास–सब्सिडी की प्रथा प्रमुख कारण है। दरों की अनेकता होने के कारण इस स्थिति में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के लिए कोई विभिाश्ट टैरिफ निर्धारित करने की पद्धति कठिनाई पैदा करती है। वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के वर्गीकरण के सबंध में प्राधिकरण के निर्णय और पिछले पैराओं में इस पर गए गए टैरिफ के आलोक में वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। सब्सक्राइबरों के व्यक्तिगत वर्ग के लिए दरें निर्धारित करने का कोई भी प्रयास उपर्युक्त वर्णित कारणों से वस्तुपरक रूप से युक्तिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।

3.3.2 दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह था कि वाणिज्यिक टैरिफ को सामान्य केबल सब्सक्राइबर से भिन्न रखना है, तो 5 सितारा होटलों के मामले में वाणिज्यिक टैरिफ साधारण केबल सब्सक्राइबर द्वारा दिए जाने वाले टैरिफ का 3 गुना तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं के मामले में 2 गुना होना चाहिए। एक अन्य सुझाव यह है कि ऐतिहासिक दरें (जैसाकि साधारण केबल उपभोक्ता के लिए किया जाता है), जो कि विवाद उठने से होटलों में प्रचलित थीं, उन्हें आधार बनाया जाए और इस आधारिक दर को मंहगाई और उद्योग के विकास के लिए समायोजित किया जा सकता है। होटल संगठनों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह नोट किया गया है कि दिसम्बर, 2003 में विभिन्न होटलों और विभिन्न स्थानों पर वसूली गयी केबल सेवा दरें न केवल काफी असमान हैं बल्कि वृद्धि की सीमा में भी एकरूपता नहीं है।

3.3.3 ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों, जो कि केवल केबल आपरेटर को भुगतान कर रहे हैं और जिनका ब्राडकास्टरों के साथ कोई लिखित करार नहीं है, के लिए रक्षोपाय जारी करने के संबंध में प्रक्रिया बताने वाले सुझाव प्राप्त कर लिए गए हैं। प्राधिकरण ने इन सुझावों की जांच की

है और ऐसे मामलों जो आपसी करार द्वारा और अधिक कार्यकुभालता से निपटाए जा सकते हैं, के लिए प्रक्रिया या लॉजिस्टिक्स का सुझाव गतिरोध पैदा कर सकता है। अतः प्राधिकरण ने इसे पक्षों के बीच आपसी करार पर छोड़ने का निर्णय किया है।

3.3.4 यह उपबंध किया गया है कि गैर–कैस क्षेत्रों में ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के संदर्भ में सीमा प्रदान की गई है, जो तीन सितारा अथवा अधिक के होटलों की चिन्हित श्रेणी में नहीं आते हैं, यह सीमा 26.12.2003 को विद्यमान दर होगी। इससे सुनिश्चित होगा कि ये वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर साधारण केबल सब्सक्राइबरों के समान भुगतान करेंगे तथा इससे विवादों की व्याप्ति भी न्यूनतम होगी। चूंकि यह टैरिफ भविश्यप्रभावी प्रभाव से होगा, इसके पूर्वव्यापी तारीख से राहत प्रदान करने का कोई विचार नहीं है।

परिभिाश्ट 1

गैर–कैस क्षेत्रों के वाणिज्यिक अंभादाताओं के लिए मसौदा टैरिफ संभोधन आदेभा पर प्राप्त टिप्पणियों का सार

टिप्पणियां भेजने वाले स्टेकहोल्डरों की विषय – सूची

क्र.सं.	नाम	कहां से प्राप्त हुई
1.	नोवेक्स कम्यूनिकेभांस प्रा.लि (नोवेक्स)	मुंबई
2.	इंडसइंड मीडिया एंड कम्यूनिकेभांस लि. (आईएमसीएल)	मुंबई
3.	जेपी होटल्स लि. (जेपी)	नई दिल्ली
4.	होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएभान (वैस्टर्न इंडिया) [एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई)]	मुंबई
5.	होटल एसोसिएभान ऑफ इंडिया (एचएआई)	नई दिल्ली
6.	सेट डिस्कवरी प्रा.लि. (सेट)	मुंबई
7.	स्टार इंडिया प्रा.लि. (स्टार)	नई दिल्ली
8.	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि. (ईएसपीएन)	नई दिल्ली
9.	हैथवे केबल एवं डाटाकॉम प्रा.लि. (हैथवे)	मुंबई
10.	जी टर्नर लि. (जी)	नई दिल्ली

<u>परामर्भा के लिए खण्ड</u>

2. प्रधान आदेभा में, खण्ड 2 का विद्यमान उप खण्ड (च) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां हटाई जाएंगी तथा उसके स्थान पर उन्हें निम्न उप खण्ड (च) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगीः

"(च) 'प्रभार' से अभिप्रेत है तथा इसमें भाामिल हैः

(i) सभा साधारण केबल अंभादाताओं तथा वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं, नीचे (ii) में विनिर्दिश्ट को छोड़कर, के लिए 26 दिसम्बर, 2003 को प्रचलित लिखित/मौखिक करार के परिणामस्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय दरें (करों को छोड़कर) । 26 दिसम्बर, 2003 को

विद्यमान लिखित/मौखिक करार में लागू सिद्धांत "दरें" भाब्द की व्याप्ति का अवधारण करने के लिए लागू किए जाने चाहिए।

(ii) तीन सितारा अथवा ऊपर की श्रेणी वाले होटलों, हैरिटेज होटलों तथा किसी अन्य होटल, मोटल, सराय तथा ऐसी ही अन्य वाणिज्यिक स्थापना, जो आवास और भोजन उपलब्ध करा रही हो तथा जिसमें 50 अथवा अधिक कमरें हों, के लिए उपर्युक्त (i) में विनिर्दिश्ट प्रभार लागू नहीं होंगे तथा ऐसे अंभादाताओं के लिए प्रभार ऐसे होंगे जो पक्षों द्वारा आपस में अवधारित किए जाएं।"

3. प्रधान आदेभा में, खण्ड 3 का विद्यमान उप खण्ड (क) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड (क) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

"(क) साधारण केबल अंभादाताओं तथा वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं (तीन सितारा और अधिक की श्रेणी के होटलों, हैरिटेज होटलों तथा अन्य किसी होटल, मोटल, सराय तथा ऐसी अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं को छोड़कर, जो भोजन तथा आवास उपलब्ध करा रही है और जिसमें 50 अथवा अधिक कमरें हैं से, यथास्थिति, केबल ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा प्रसारकों को"

4. प्रधान आदेभा में, विद्यमान खण्ड 3 (ग) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों के पश्चात निम्नलिखित स्पश्टीकरण तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां अर्थात स्पश्टीकरण 1 और स्पश्टीकरण 2 अंतः स्थापित किए जाएंगे:

"स्पश्टीकरण 1 : उपर्युक्त खण्ड 3 (क) के प्रयोजन के लिए इस प्रश्न कि क्या वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर केवल ऑपरेटर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/ब्राडकास्टर को भुगतान करेगा, का अवधारण सम्बद्ध पक्षों के बीच करार की भार्तों द्वारा किया जाएगा, अर्थात

(i) प्रसारक

(ii) एमएसओ

(iii) केबल ऑपरेटर

(iv) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर

स्पश्टीकरण 2: उपर्युक्त खण्ड 3 (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए, जहां उपयुक्त हो, वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के भुगतान को हिसाब में लेने के लिए परिवर्तित किया जाएगा।

प्रधान आदेभा में, विद्यमान खण्ड 3 तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों को हटाया जाएगा''

<u>प्राप्त टिप्पणियां</u>

1. प्रस्तावित टैरिफ आदेभा में 2 सितारा और 1 सितारा होटलों को सुरक्षा प्रदान की गई है। एक सिंगल रूप का टैरिफ 1500 रू. से 8000रू. प्रतिदिन है। नोवेक्स की राय में 2 सितारा और 1 सितारा होटलों को भी, 5 सितारा, 4 सितारा और 3 सितारा होटल के रूप में लिया जाना चाहिए और चैनलों के टैरिफ पार्टियों द्वारा आपस में सहमति के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। नोवेक्स ने यह भी कहा कि लक्सरी अस्पतालों का प्रति बेड प्रभार 750 रू. से 6000 रू. प्रतिदिन है। अतः नोवेक्स की राय है कि एक ऐसे सभी अस्पताल, जिनके पास 30 से ज्यादा बेड हों, उन्हें भी होटलों की श्रेणी में डाला जाना चाहिए। सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा म्यूनिसेपैलिटी के अस्पतालों पर ट्राई द्वारा निर्धारित दर प्रभारित की जाए। (नोवेक्स द्वारा अस्पतालों के रेट कार्ड संलग्न किए हैं परन्तु इस सार में संलग्न नहीं किये गये हैं।)(नोवेक्स)

2. वर्गीकरण बिलकुल सही है। तथापि, पहले प्रकार में 25 कमरों से अधिक के सभी होटलों/लॉजों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रभार एमएसओ/एलसीओ तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं के बीच परस्पर निर्णित किए जाने चाहिएं तथा ब्राडकास्टर के साथ सीधे नहीं। किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक स्थापना के लिए करार केबल टीवी सेवा अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत एमएसओ अथवा केबल ऑपरेटर होना चाहिए, तथा यह ब्राडकास्टर के साथ सीधे नहीं होना चाहिए। (आईएमसीएल)

3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेभा को देखते हुए जेपी होटल लि. का कहना है कि ट्राई को सब्सक्राइबरों को विभिन्न श्रेणियों के श्रेणीकरण का सुझाव नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक यूटिलिटी के सभी सब्सक्राइबर समान हैं चाहे कोई सब्सक्राइबर धनी है या गरीब। वर्गीकरण करने का कोई भी प्रयास भेदभाव करना माना जाएगा और इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और अनुच्छेद 301/305 के उपबंधों का उल्लंघन होगा। उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए ट्राई को सभी सब्सक्राइबरों को एक श्रेणी का समझना चाहिए। (जेपी)

4. एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) ने कहा है कि ट्राई ने यह स्पश्ट नहीं किया है कि क्या टैरिफ में ब्राडकास्टरों द्वारा मांगा गया कॉपीराइट भुल्क भी भाामिल है। ट्राई ने यह स्पश्ट नहीं किया है कि क्या इन वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को लोकल केबल ऑपरेटरों अथवा ब्राडकास्टरों, जैसे कि उनके द्वारा 2004 से मांग की जा रही है, के साथ करार करना चाहिए। ट्राई ने निश्चय किया है

कि होटलों को ‘छोड़ी गई श्रेणी’ में भाामिल न किया जाए और इसे बाजार की भाक्तियों पर छोड़ा गया है। यह भेदभावपूर्ण है। पूरे देभा में छोड़ी गई श्रेणी में लगभग 850 होटल ही हैं और उन्हें अधिसूचना की परिधि में भाामिल न करना अनुचित, असमान तथा भेदभाव करना है। अतः यह समझ में नहीं आता है कि होटलों को छोड़ी गई श्रेणी की इस छोटी संख्या के लिए ट्राई ने उनके लिए टैरिफ निर्धारित करने के बजाय उन्हें बाजार की भाक्तियों पर छोड़ना क्यों चुना। पहले परामर्भा–पत्र में जैसा सुझाव दिया गया था, अनिश्चितता और भेदभाव करने के बजाय ट्राई द्वारा एक ऐसा टैरिफ निर्धारित किया जा सकता था जो वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों द्वारा इस समय भुगतान किए जा रहे टैरिफ से 10 % ज्यादा हो सकता था। छाड़ी गई संस्थापनाओं का निर्धारण करते समय यह बात ध्यान में आई कि बहुत से अन्य वाणिज्यिक सब्सक्राइबर जैसे कि रेस्टोरेंट, अस्पताल, क्लीनिक, वाणिज्यिक कार्यालय, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेभान, भौक्षणिक संस्थान, क्लब आदि को सामान्य केबल सब्सक्राइबर के रूप में माना गया है, जबकि टैरिफ के प्रयोजन के लिए मात्र इस 850 संख्या को ही वाणिज्यिक श्रेणी में रखा गया है। एचएण्डआरहै (डब्ल्यूआई) इस बात पर बल देना चाहता है कि होटल ब्राडकास्टरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के थोक उपभोक्ता हैं न कि वाणिज्यिक सब्सक्राइबर जैसा कि ट्राई द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। थोक उपभोक्ता के रूप में, ट्राई को, वास्तव में, एक विभोष कम टैरिफ निर्धारित करना चाहिए, जैसा कि किसी दूसरे उत्पाद/ सेवा के थोक उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने के मामले में किया जाता है। एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) यह भी समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रकार के श्रेणीकरण के लिए ट्राई को 50 या अधिक कमरों का आंकड़ा कैसे प्राप्त हुआ। टेलीकॉम के क्षेत्र में ट्राई ने उपयोग के स्थान के आधार पर उपभोक्ता की श्रेणी निर्धारित करके अलग टैरिफ निर्धारित किया है। ब्राडकास्टरों पर लगाए गए प्रतिबंधों का गैर–कैस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता के पास उत्पाद का चयन करने का कोई विकल्प नहीं है। दो ड्राफ्ट अधिसूचनाओं को जारी करते समय ट्राई ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2006 के आदेभा के भाब्दों तथा भावों का पालन नहीं किया है। ऊपर जो भी कहा गया है, उसे देखते हुए एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) का सुझाव है कि (i) ट्राई को प्रति चैनल, प्रतिमाह 4 रू. की छूट अधिसूचित करनी चाहिए और जैसा की ऊपर कहा गया है, थोक उपभोक्ताओं के लिए 10 % छूट दी जानी चाहिए। (ii) ट्राई को यह भी अधिसूचित करना चाहिए कि उक्त टैरिफ में ब्राडकास्टरों द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट भाुल्क भी भाामिल हैं। (iii) ट्राई को यह भी अधिसूचित करना चाहिए कि सामान्य केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे लोकल केबल

ऑपरेटर अथवा ब्राडकास्टर के साथ करार करें। (iv) यदि सब्सक्राइबर द्वारा सेवा का उपयोग बंद कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ब्राडकास्टर अनावश्यक लाभ न कमाए इसलिए सामान्य सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबर दोनों रिबेट पाने के पात्र होंगे। उदाहरण के लिए यदि एक आवासीय ग्राहक 30 दिन से ज्यादा के लिए स्टेभान से बाहर जाता है अथवा यदि एक होटल वर्ष में 30 दिन से ज्यादा के लिए बन्द होता है तो वह आनुपातिक आधार पर रिबेट पाने का पात्र है क्योंकि उत्पाद/सेवा का बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। [एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई)]

5. ट्राई ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या अलग–अलग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के लिए समान दूरसंचार सेवा के लिए अलग–अलग दरों की आवश्यकता है और जैसा कि ऊपर कहा गया है जहां अलग–अलग दरें निर्धारित की जाती हैं वहां प्राधिकरण को इनके कारण दर्ज करने थें। (यह ट्राई अधिनियम की धारा 11 (2) का वास्तविक महत्व है, 9.10.2006 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में इस बात को पहले से ही माना गया है कि ट्राई टैरिफ फ्रेम करने का कार्य कर रहा है। इस आदेभा के आगे यह भी अन्तर्निहित है कि माननीय ट्राई टैरिफ निर्धारित करने का कार्य जारी रखे, अपील का परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। यह उल्लेखनीय हे कि वाणिज्यिक टैरिफ से संबंधित मुद्दों से संबंधित परामर्भा पत्र में अलग–अलग श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अलग श्रेणी बनाने की आवश्यकता पर कोई चर्चा नहीं की गई है और उक्त से मिलता जुलता एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या ट्राई को वाणिज्यिक प्रयोजकों के लिए टैरिफ निर्धारित करना चाहिए या नहीं क्योंकि माननीय टीडीसेट ने इस पर विचार करने के लिए कहा है। अतः अनुरोध है कि ट्राई को नए परामर्भा–पत्र में परिभािश्ट जोड़कर एक स्वतंत्र निश्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अलग–अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग टैरिफ निर्धारित करने की आवश्यकता के मामले में ट्राई को विभिन्न निकायों के व्यापक प्रतिनिधियों के विचार जानने चाहिए और केवल एचएआई/एचआरए डब्ल्यूआई को आमंत्रित करना वांछनीय नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए इस पूरी कवायद की भुारूआत एचएआई द्वारा की गई थी क्योंकि ब्राडकास्टरों को पर्याप्त धनराभि का भुगतान करने के लिए एचएआई के सदस्यों पर दबाव डालने के उद्देश्य से ब्राडकास्टरों द्वारा दबाव बनाने की नीति अपनाई जा रही थी। साथ ही, उन्हें कनेक्भान काटने की धमकी दी जा रही थी। इसे देखते हुए यह आश्चर्य की बात है कि ट्राई किस प्रकार इस निश्कर्ष पर पहुंचा कि सब्सक्राइबरों की इस श्रेणी (जो मुख्यतः 3 सितारा या उससे ऊंचे होटल हैं) को आगे टैरिफ से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राडकास्टर अपने संबंधित फील्ड में एकाधिकार रखते हैं और अलग अलग होटलों को समान धरातल पर उनसे मोलभाव करने की

भाक्ति नहीं है। जहां इस समय मुक्त बाजार की भाक्तियों को अनुमति देने की बात कही वहां वाणिज्यिक संस्थापनाओं के साथ काफी भेदभाव हो जाएगा। जहां एक कैस क्षेत्र में कुल चैनल समूह की तुलना में अलग अलग चैनलों की एमआरपी निर्धारित करने के कुछ मानदण्ड हैं वहीं गैर–कैस क्षेत्र में ऐसे कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। परामर्भा प्रक्रिया के दौरान पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि ब्राडकास्टर, अलग अलग चैनल की कीमत निर्धारित करने के माममले में ऐसे मानदण्डों का पालन नहीं करते हैं। वास्तव में 3 सितारा या उससे ऊंची रेटिंग के होटलों के पास अधिकांभातः अपना हेड एण्ड उपकरण है और वे उन पर भारी खर्च करते हैं। ऐसी संस्थापनाओं को वास्तव में कम दरों की पेभाकभा की जानी चाहिए और उन्हें कीमतों की सुरक्षा के बिना अपने बचाव के कार्य में लगने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह भी दोहराया जाता है कि यदि 1.10.2004 की अधिसूचना को सब्सक्राइबरों की सभी श्रेणी के लिए लागू किया जाए तो इससे पूरा न्याय होगा। ऐसा इस तथ्य को देखते होगा कि 26.12.2003 को भी इस श्रेणी के सब्सक्राइबर, जिन्हें अब विनियमित न करने की मांग की जा रहीं है, सभी अन्य श्रेणियों से काफी ज्यादा भुगतान कर रहे थे। दुनियाभर में कहीं भी घरेलू तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के टैरिफ में कोई अंतर नहीं है। ट्राई ने टेलीकॉम सेवाओं के मामले में अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अलग अलग टैरिफ की आवश्यकता नहीं समझी है। इस प्रकार, इसके लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्राडकास्टिंग के संबंध में इस प्रकार के अन्तरीय टैरिफ के कारण स्पश्ट करने की आवश्यकता है। ट्राई को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जब यह टैरिफ तैयार करने के उद्देश्य से यथापूर्व स्थिति आदेभा के परिवर्धन के लिए उच्चतम न्यायालय गई थी, तो क्या कतिपय श्रेणियों के लिए कोई भी टैरिफ निर्धारित न करने का विकल्प रख सकती थी। यही नहीं, ऐसे मसौदा टैरिफ आदेभा, यदि ये अधिसूचित हुए होते, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही का खण्डन कर देते। वाणिज्यिक केबल अंभादाता की परिभाषा को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले का कि क्या होटल उपभोक्ता हैं अथवा अंभादाता, उनके आगंतुक नहीं, का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। जब एक बार उन्हें अंभादाता माना जाएगा तो उस मामले में वे 2003/2004 की प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत भाामिल हो जाएंगे तथा उनके लिए एक पृथक श्रेणी का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा। होटल ब्राडकास्टरों को उन दरों का भुगतान कभी नहीं कर रहे थे जो दरें घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जा रही थी यह तक कि 2003/2004 में होटलों द्वारा संदाय की जा रही दरें घरेलू उपभोक्ताओं से कहीं अधिक थी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन दरों को ऐतिहासिक दरों के रूप में नहीं माना जा सकता। यह भी उल्लेख किया जाता है कि उस समय तक जब तक इंटर कनेक्ट व्यवस्था प्रवर्तन

में नहीं है, ट्राई को ब्राडकास्टरों को इस बात पर सहमत करना चाहिए कि वे उनके द्वारा प्राधिकृत निकटतम केबल ऑपरेटर के माध्यम से होटलों को सिगनल देने से इंकार न करें। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि जब तक कि उपर्युक्त समस्त बिंदुओं तथा साथ ही माननीय ट्राई के समक्ष 9.11.2006 को हुई बैठक में मौखिक पर विचार नहीं किया जाता और उन पर कार्रवाही नहीं की जाती, मसौदा टैरिफ आदेभाों को प्रास्थगित किया जाए/वापस ले लिया जाए। (एचएआई)

6. एसईटी (सेट) ने कहा कि कैस क्षेत्र में वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं को किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा ट्राई को मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार भाक्तियों को अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। 31 अगस्त, 2006 के कैस टैरिफ आदेभा को अनुसूचित करने तथा साधारण केबल अंभादाताओं को सभी चैनलों के लिए एक सामान्य एमआरपी निर्धारित करने के पीछे ट्राई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। अतः जबकि किसी प्रकार का उपभोक्ता हित अंतर्निहित नहीं है, कैस क्षेत्रों में वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं को साधारण केबल अंभादाताओं के समान एक ही स्तर पर मानने के पीछे ट्राई के लिए काई औचित्य अथवा मूलाधार विद्यमान नहीं है। अतः सेट ने सिफारिभा की है कि ट्राई को कैस टैरिफ आदेभा के उपबंध वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं पर लागू नहीं करने चाहिए। 26.12.2003 की अवधि के पश्चात अनेक प्रसारकों ने या तो अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है अथवा वाणिज्यिक संस्थापनाओं की नई श्रेणियां भाामिल कर ली हौ। अतः स्टार अनुरोध करता है कि मूल्यों का स्थिर करने की तारीख को 1 मार्च, 2006 के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि ट्राई के 7 मार्च, 2006 के आदेभा में उल्लेख किया गया है। (सेट)

7. स्टार द्वारा बताई गई स्थिति यह है कि किसी भी श्रेणी की किसी भी वाणिज्यिक स्थापना के लिए मूल्य विनियम बिलकुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि वे लक्षित प्रयोक्ता नहीं है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता पड़े तथा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे वाणिज्यिक लाभ के लिए इन सेवाओं का प्रयोग करते हैं तथा अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बड़ी मात्रा में प्रीमियम प्रभारित करते हैं। इसके अलावा, किसी प्रकार का मूल्य विनियमन व्यापक पैमाने पर सेवा प्रदाताओं जैसे डीटीएच तथा आईपीटीवी के साथ उनके समापन लेन–देनों की प्रक्रिया को जटिल ही बनाएगा। स्टार ने अनुरोध किया है मसौदा टैरिफ आदेभा में मोटल, सराय भाब्दों के पश्चात 'क्लबों' को जोड़ा जाना चाहिए तथा इसी प्रकार कमरों की संख्या 50 से 25 तक संभाोधित की जानी चाहिए। इन स्थापनाओं के लिए किसी प्रकार का मूल्य संरक्षण प्रदान नहीं करना चाहिए।

अनेक वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों में चैनलों द्वारा प्रसारण इन स्थापनाओं जैसे रेस्तरां, बार, सिनेमाघरों तथा 5 सितारा होटलों के लिए यह सामान्य नहीं है कि वे उनके परिसरों में टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने उपभोक्ताओं से प्रीमियम प्रभारित करें । अतः स्टार सिफारिभा करता है कि वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आधारित समस्त अवलोकनों को मूल्य विनियम के किसी भी रूप से छूट प्रदान की जानी चाहिए। स्टार ने यह भी अनुरोध किया है कि 24 मार्च, 2006 की अधिसूचना के खण्ड 3 क में उपबंधित स्पश्टीकरण को बहाल किया जाए तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं को केवलओ "प्राधिकृत" केबल प्रचालकों/एमएसओ से सिगनल प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। (स्टार)

8. ईएसपीएन का मानना है कि कैस अथवा गैर–कैस क्षेत्रों में किसी होटल अथवा वाणिज्यिक स्थापना के लिए किसी भी श्रेणी का कोई भी मूल्य विनियम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लक्षित प्रयोक्ता उपभोक्ता नहीं है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो सकती, क्योंकि वे इन सेवाओं का उपयोग वाणिज्यिक लाभ के लिए करते हैं और स्वयं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए भारी प्रीमियम प्रभारित करते हैं। 26.12.2003 की अवधि के पश्चात अनेक प्रसारकों ने या तो अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है अथवा वाणिज्यिक संस्थापनाओं की नई श्रेणियां भाामिल कर ली हैं। अतः स्टार अनुरोध करता है कि मूल्यों को स्थिर करने की तारीख को 1 मार्च, 2006 के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि ट्राई के 7 मार्च, 2006 के आदेभा में उल्लेख किया गया है। ईएसपीएन की टिप्पणियां स्टार की टिप्पणियों का समर्थन करती हैं जो कि पहले ही पूर्ववर्ती पैरा में प्रस्तुत की गई हैं। (ईएसपीएन)

9. यह उल्लेख किया जाता है कि कैस टैरिफ मूल्यों/प्रभारों के समान जहां चैनलों के लिए संकेतात्मक मूल्य, समूह चैनलों के लिए औसत चैनल मूल्य के तीन गुणा से अधिक नहीं बताए गए हैं। इस प्रकार, गैर–कैस क्षेत्रों के लिए प्रसारकों द्वारा गैर–वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे चैनल समूहों के लिए टैरिफ दरें गैर–कैस क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए अधिसूचित चैनल समूहों से तीन गुणा अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे यह बताया जाता है कि सभी ब्राडकास्टरों के चैनल समूहों की कीमतें ज्ञात हैं। जैसे स्टार इंडिया बुके 1 के लिए @ 32.10 रू. सेट डिस्कवरी बुके 1 के लिए @ 52.86 रू., जी टर्नर बुके 1 के लिए @ 58.85 रू. अतः यह बताया जाता है कि ऐसी सब्सक्राइबर फीस पारस्परिक बातचीत द्वारा अवधारण के लिए नहीं छोड़ी जानी चाहिए। (हैथवे)

10. जी ट्राई के ध्यान में यह लाना चाहता है कि प्रसारक अनेक वर्षों से विभिन्न दरों को प्रभारित कर रहे हैं अर्थात वाणिज्यिक स्थापनाओं के वाणिज्यिक दरें तथा साधारण उपभोक्ताओं से कम दरें। प्रसारकों द्वारा कटिंग एज प्रोग्रामिंग के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें अत्यंत कम हैं तथा उनके कमरे के किराए का केवल 1 % ही है। जी ने अनुरोध किया है कि किसी भी वाणिज्यिक स्थापना के लिए किसी भी श्रेणी का मूल्य नियंत्रण विनियम लागू न किया जाए क्योंकि वे ऐसे लक्षित उपभोक्ता नहीं हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि वे इन सेवाओं को वाणिज्यिक लाभ के लिए प्रयोग में लाते हैं तथा स्वयं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारी प्रीमियम प्रभारित करते हैं। बड़ी संख्या में स्थापनाएं ऐसे केबल ऑपरेटरों के अप्राधिकृत फीड ले रही हैं जो वाणिज्यिक स्थापनाओं को इसका वितरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। जी ने अनुरोध किया है कि खण्ड 2 (च) (ii) में मोटल, सराय भाब्दों के पश्चात " क्लबों, रेस्त्राओं, बारों, वाणिज्यिक मॉलों, सिनेमाघरों " की श्रेणी जोड़ दी जाए तथा इसी प्रकार, कमरों की संख्या में 50 से 25 को संभोधन कर दिया जाए। जी ने यह भी सिफारिभा की है कि ऐसी सभी स्थापनाओं तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों को मूल्य विनियम के किसी भी रूप से छूट दी जानी चाहिए। खण्ड 2 (च)(ii) में यथा उल्लिखित अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापना जैसे बैंक, अस्पताल आदि और प्रसारकों के बीच विद्यमान व्यवस्था/करार को ऐसे करार/व्यवस्था की समाप्ति तक विद्यमान व्यवस्था/ करार के आधार पर जारी रखा जाना चाहिए अन्यथा इससे काफी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। 25 टीवी सेटों से अधिक वाले किसी निजी अथवा न्यास द्वारा धारित अस्पताल को भी 5/4/3 सितारा होटलों के समान समझा जाना चाहिए। आगे यह भी उल्लेख किया जाता है कि अनेक मामलों में बड़े अस्पतालों के परिसरों में 125 से अधिक टीवी सेट होते हैं। यह उचित तथा तर्कसंगत होगा यदि प्रसारकों को अपने प्रभारों की वसूली 25 से अधिक टीवी सेटों वाले किसी अस्पताल से करने की अनुमति दी जाएगी तथा उन्हें 5/4/3 सितारा होटलों के समान समझा जाना चाहिए। जी ने यह भी उल्लेख किया है सरकार/अर्ध–सरकार/पालिका द्वारा धारित/संचालित किसी अस्पताल को संरक्षित किया जाना चाहिए तथा उसे उच्चतम सीमा का संरक्षण मिलना चाहिए भले ही उनके द्वारा संस्थापित टीवी सेटों की संख्या कितनी भी हो। बाजार भाक्ति के सिद्धांत को बिना किसी मूल्य विनियम के जारी रखा जाना चाहिए। अन्य मामलों में जी द्वारा किए गए उल्लेख अन्य प्रसारकों के समान ही हैं, जिनके दृश्टिकोणों का ऊपर पहले भी उल्लेख किया गया है। (जी)